न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—283 / 2021 दायर दिनांक 12.07.2021

जीसीएमएस आई0डी0 :—2021 / 277

1. अतर सिंह पुत्र श्यौनारायण जाति जाटव निवासी परसादी का पुरा
2. लज्जोदेवी पत्नि अतर सिंह वार्ड नं0 40 हिण्डौन जिला करौली

राजस्थान ———————————————————————सायलान

बनाम

1. रंगीलाल पुत्र गुलचन्द जाति जाटव निवासी परसादी का पुरा
2. दिनेश पुत्र बाबूलाल वार्ड नं0 40 हिण्डौन जिला करौली— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री शर्दीलाल चौधरी एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक :— 16.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने उपरोक्त उनवानी दावा बावत् तकास्मा आराजी व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में गैरसायलान के विरूद्ध पेश किया है जो काफी मजबूत जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नं0 9188 रकबा 0.18 है0, 9189 रकबा 0.15 है0, 9190 रकबा 0.10 है0, 9191 रकबा 0.55 है0, 9192 रकबा 0.37 है0, 9193 रकबा 0.37 है0, 9203 रकबा 0.19

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र सायलान व गैरसायलान 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 ता 15 (वाद पत्र) की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें सायलान का प्रत्येक का 1/6, 1/6 भाग अर्थात 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार है और इसी अनुसार अपने हिस्से पर प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में वर्णित भूमि के 1/3 भाग पर काबिज व दखील है तथा अपने हिस्से की भूमि पर फसल दर फसल काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायल सं0 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 15 (वादपत्र) में आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र का मौके पर अपने अपने हिस्से व कब्जानुसार वाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है। सायलान गरीब सीधे साधे है जिनका नाजायज फायदा उठाने की गरज से गैरसायल संख्या 1 व 2 जो कि झगडालू व बदमाश प्रवृतित के है जो जबरन लटठ के बल पर सायलान को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में रहते है और इस उदेश्य के लिए वे आये दिन सायलान के हिस्से की भूमि को कडपने के उदेश्य से तंग व परेशान करते रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि 05.07.2021 दिन के करीब 10 बजे के आस पास का है कि सायलान अपने कब्जे व हिससे की आराजीयात की देखभाल कर रहे थे इतने में गैरसायल नं0 1 व 2 व उनके परिवारजन मौके पर एकराय होकर आ गये व सायलान से कहा कि आप लोग उक्त भूमि पर क्यों आये हो इस जमीन पर तो हम कब्जा करेंगे तो सायलान ने कहा कि उक्त भूमि तो हमारे कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। इसी बात को लेकर गैरसायलान नाराज हो गये व सायलान को जमीन से वेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकी देने लगे। सायलान ने गैरसायलान से हाथ जोडकर निवेदन किया कि भाईयों उक्त भूमि में हमारा 1/3

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

भाग है की खातेदारी है व हिस्सानुसार ही वाहमी बंटवारा के आधार पर मौके पर हमारा कब्जा काश्त है हमें नाहक परेशान मत करो तहसील में चलकर वाहमी बंटवारे के मुताबिक अपने अपने हिस्सानुसार बंटवारा करावा लेते है तो गैरसायलान ने मना कर दिया कि हम तो कोई विधिवत बंटवारा नहीं करायेंगे व जबरन लटठ के बल पर भूमि पर कब्जा करके रहेगें। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति द्रव्य में संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान का प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु पूरी तरह से सायलान के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेद्याज्ञा पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा इस अमर के लिए पाबंद फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9203 कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 हैक्ट0 वाके कस्बा हिण्डौन में सायलान के 1/3 भाग सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत ना करें व नाही किसी अन्य से करावै। सायलान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हक हकूक सायलान को क्षति किसी प्रकार की पहुंचती हो।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 9188 रकबा 0.18 है0, 9189 रकबा 0.15 है0, 9190 रकबा 0.10 है0, 9191 रकबा 0.55 है0, 9192 रकबा 0.37 है0, 9193 रकबा 0.37 है0, 9203 रकबा 0.19 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी अतरसिंह पुत्र शयौनारायण हिस्सा–1/6 जाति– जाटव नि. ग्राम खातेदार राहिन हिस्सा–1/6 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा हिण्डौन, चैनवाई पुत्री मूला हिस्सा– 1/4 जाति– जाटव नि.ग्राम खातेदार, दिनेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/80 जाति– जाटव नि. ग्राम खातेदार, प्रेम पुत्री गुलचंद हिस्सा 1/20 जाति– जाटव नि. ग्राम खातेदार, बाबूलाल पुत्र मूलचन्दउर्फदुल्लीचन्द हिस्सा– 1/6 जाति– जाटव नि.ग्राम खातेदार, रंगीलाल पुत्र गुलचंद हिस्सा 1/20 जाति–जाटव नि. ग्राम खातेदार, रचना पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/80 जाति–जाटव नि. ग्राम खातेदार, रामवाई पुत्री गुलचंद हिस्सा–1/20 जाति– जाटव नि. ग्राम खातेदार, लज्जादेवी पत्नि अतरसिंह हिस्सा– 1/6 जाति– जाटव नि.ग्राम खातेदार राहिन हिस्सा–1/6 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा हिण्डौन, श्योनारायण पुत्र गुलचंद हिस्सा 1/20 जाति– जाटव नि. ग्राम खातेदार, सपना पत्री बाबूलाल हिस्सा– 1/80 जाति– जाटव नि. ग्राम खातेदार, सरोज बाबूलाल हिस्सा–1/80 जाति– जाटव नि.ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं0 9188 रकबा 0.18 है0, 9189 रकबा 0.15 है0, 9190 रकबा 0.10 है0, 9191 रकबा 0.55 है0, 9192 रकबा 0.37 है0, 9193 रकबा 0.37 है0, 9203 रकबा 0.19 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायलान एवं गैरसायलान के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। सायलान का दावा तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी का है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नं0 9188 रकबा 0.18 है0, 9189 रकबा 0.15 है0, 9190 रकबा 0.10 है0, 9191 रकबा 0.55 है0, 9192 रकबा 0.37 है0, 9193 रकबा 0.37 है0, 9203 रकबा 0.19 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.91 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली